न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 18/2021 (2021/31)

अपीलार्थीगण

नाराराम पुत्र जोगाराम, जाति भील, निवासी हनुमाननगर, फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. उम्मेदसिंह पुत्र शंभूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. गोकूलराम पुत्र जयरूपराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.03.2021 जो तहसीलदार लूणी द्वारा प्रकरण संख्या 1/2021 बअनवान नाराराम बनाम उम्मेदसिंह में पारित किया गया।

———

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति व श्री गजेन्द्रसिंह राठौड़ (अपीलार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री करणसिंह चौहान (प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02)।

—: आदेष :— दिनांक :— 22.11.2021

अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आदेश दिनांक 15.03.2021 जो तहसीलदार लूणी द्वारा प्रकरण संख्या 1/2021 बअनवान नाराराम बनाम उम्मेदसिंह में पारित किया गया, के विरूद्ध पेष की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक प्रार्थना—पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूणी के समक्ष अन्तर्गत धारा 183 बी पेश कर बतलाया कि खसरा नं0 465/1 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा ग्राम हनुमाननगर पटवार क्षेत्र फींच तहसील लूणी में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है। उपरोक्त भूमि पर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टपक्ष ने कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से अप्रार्थीगण को बेदखल कर प्रार्थी को दिलाया जावें। अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख तहसीलदार लूणी से तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता करणसिंह चौहान ने वकालतनामा पेश किया। मूल अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 17.11.2021 को सुनी गई तथा पत्रावली वास्ते आदेश रखी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री हनुमान प्रजापति ने अपनी बहस में बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शें का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया गया। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट पक्ष ने प्रार्थी/अपीलार्थी की भूमि पर कब्जा कर लिया जिसको हटाने के लिए धारा 183 बी के तहत कार्यवाही की जानी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं0 465/1 जिसका स्पष्ट अंकन राजस्व नक्शे में है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मौके की स्थिति एवं राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि से भिन्न जाकर प्रार्थी/अपीलार्थी का कब्जा अन्य भूमि पर बतलाकर प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया। जबकि वास्तविक रूप से प्रार्थी/अपीलार्थी खसरा संख्या 465/1 का खातेदार है तथा जमाबन्दी प्रार्थी के नाम से बनी हुई है एवं राजस्व नक्शें में खसरा नं0 465/1 मुख्य सड़क पर अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं0 465/1 जिसका राजस्व नक्शे में अंकित स्थान है उस स्थान पर कब्जे बाबत् कोई फाईण्डिंग नहीं दी अपितु अन्य तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र को खारिज कर दिया। प्रार्थी/अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र का विश्लेषण किये बिना ही आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट को प्रार्थी/अपीलार्थी की भूमि खसरा नं0 465/1 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से बेदखल करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नक्शे अनुसार भूमि का कब्जा प्रार्थी/अपीलार्थी को दिलाये जाने का आदेश पारित करे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के अभिभाषक श्री करणसिंह चौहान ने अपनी मौखिक बहस में बतलाया कि रेस्पोडेन्ट [illegible] हनुमान नगर के खसरा संख्या 465/1 में किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया गया है। नक्शे अनुसार मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:54 IST
Reason: SelfAttested

तरमीम हो चुकी है। अपीलार्थी ने गलत तथ्यों के साथ अपील पेश की है जो निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार है यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थी नाराराम का नाम खसरा संख्या 465/1 रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा ग्राम हनुमाननगर में खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उम्मेदसिंह का खसरा संख्या 465 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 गोकलराम खसरा संख्या 465/2 का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में पटवारी फींच द्वारा जो नक्शा पेश किया गया है जिसमें खसरा संख्या 465, 465/1 व 465/2 एक दूसरे के नजदीक है व उनके बीच कोई अन्य खसरा नहीं है तथा रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा जो कम्प्युटरीकृत नक्शा पेश किया गया है उसमें खसरा संख्या 465 व 465/1 के मध्य 465/3 खसरा दर्शाया गया है। अतः उक्त दोनों नक्शों में भिन्नता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शों का गहनता से अवलोकन नहीं किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2021 जो तहसीलदार लूणी द्वारा प्रकरण संख्या 1/2021 बअनवान नाराराम बनाम उम्मेदसिंह में पारित किया गया को निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार लूणी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी द्वारा पेश राजस्व नक्शा अनुसार तथा दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड आदेश की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:54 IST
Reason: SelfAttested